फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ललित कुमार सिंह बनाम श्रीमती रसाल कंवर

प्रकरण संख्या 124/2021

(प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, आदेश 41 नियम 12 व धारा 151 जाब्ता दीवानी)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.08.2021	अधिवक्ता श्री रामजीलाल गुप्ता ने उपस्थित होकर आदेश 9 नियम 13, आदेश 41 नियम 21 व धारा 151 जाब्ता दीवानी मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्राथी के सुयोग्य अधिवक्ता को मियाद अधिनियम की धारा 5 पर गौर सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया है। प्रार्थी ने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2009 ब उनवानी ललित कुमार सिंह बनाम रसाल कंवर व अन्य में अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर पारित किये गये एक पक्षीय आदेश दिनांक 04.12.2009 को निरस्त कर अपील में पुनः सुनवाई किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। उक्त मे प्रकरण में आदेश दिनांक 04.12.2009 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जयपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये है कि उभय पक्ष को सनुवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर उपखण्ड अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 04.08.1976 की मंशा के अनुरूप पालना कर तदनुसार नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। चूंकि इस न्यायालय में विचाराधीन मूल अपील का निस्तारण दिनांक 04.12.2009 को हो चुका है। जिसमें तहसीलदार जयपुर को पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा आदेश से व्यथित पक्षकार द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा चुकी है, जो विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी चारःजोई कर सकता है। प्रार्थी द्वारा अब 11 वर्ष पश्चात आदेश 9 नियम 13, आदेश 41 नियम 21 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बता पाये है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज होकर नम्बर से कम हो। 12/8/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	